

DAINIK JAGRAN, Dehradun, 7.2.2018

Page No. 13, Size:(8.44)cms X (13.04)cms.

प्लास्टिक आधार कार्ड के प्रयोग में बरतें सावधानी

नई दिल्ली, प्रेट्सं : यदि आपने आधार कार्ड का किसी दुकान से लेमिनेशन करा रखा है या फिर प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें। ऐसा करने पर आपके आधार का क्यूआर कोड काम करना बंद हो सकता है या निजी जानकारी चोरी हो सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने इसके इस्तेमाल को लेकर नागरिकों को चेताया है।

यूआइडीएआइ की ओर से जारी बयान के अनुसार, आधार को कोई हिस्सा, डाउनलोड किया गया या मोबाइल आधार पूरी तरह से मान्य है। आधार स्मार्ट कार्ड की प्रिटिंग पर 50 से 300 रुपये तक का खर्च आता है, जो बिल्कुल अनावश्यक है। प्लास्टिक या पीवीसी आधार स्मार्ट कार्ड अक्सर गैर-जरूरी होते हैं। इसकी वजह यह है कि गैर-अधिकृत प्रिंटिंग से क्विक रेस्पांस (क्यूआर) कोड आमतौर पर काम करना बंद कर देते हैं।

बयान के अनुसार, 'इसके अलावा यह भी आशंका है कि आप की मंजूरी के बिना ही गलत तत्वों तक आपकी निजी जानकारी साझा हो जाए।' यूआइडीएआइ के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा, सामान्य कागज

दुरुपयोग की आशंका से रद नहीं हो सकता कोई कानून

नई दिल्ली, प्रेट्र : आधार की वैधता पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कानून की तय व्यवस्था है कि दुरुपयोग की आशंका के आधार पर किसी कानुन को रद कर दिया जाए। कानून की संवैधानिकता अपवाद स्वरूप सामने आए एक या दो मामलों से तय नहीं होती है।' इस मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। आधार कार्ड पर सनवाई कर रहे पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि किसी कानून की संवैधानिकता उसके आम या सामान्य मामलों से तय होती है। खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील सिब्बल से पूछा कि कोर्ट कै से यह तय करेगा कि कानुन के लागू होने में खतरे का कितना स्तर पर्याप्त है? अदालत इस मामले को और गहराई से देखे या फिर इस कानून को ऐसा ही छोड़ दे? इस पर सिखल अपना जवाब बुधवार को सुनवाई के दौरान देंगे।

पर डाउनलोड किया गया आधार कार्ड या फिर मोबाइल आधार कार्ड पूर्णतया मान्य है।